जूता कारोबारियों को राहत संभव

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

चमड़े के जूता चप्पल व अन्य उत्पादों से जुड़े कारोबारियों को आने वाले वक्त में बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस पर लगने वाले जीएसटी ढ़ांचे को तार्किक करने की बात कही है। यह काम अगले साल जनवरी से होना है। हाल में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि जनवरी से इनवर्टेड शुल्क ढांचे को ठीक किया जाएगा। हालांकि अभी दरें घोषित नहीं हुईं हैं। कच्चे माल पर जीएसटी की दरें अपेक्षाकृत कम की जा सकती हैं।

जीएसटी घटने के आसार

- जनवरी से कच्चे माल पर जीएसटी घटने के आसार
- 28% तक जीएसटी है कारोबार से जुड़े कुछ उत्पादों पर

इस समय कच्चे माल के रूप में चमड़े पर पांच प्रतिशत जीएसटी है जबकि इसके साथ प्रयुक्त होने वाले अन्य कच्चे उत्पाद मसलन सोल पर 12 प्रतिशत, धागे, चिपकाने वाला पदार्थ पर 18 प्रतिशत व रसायन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। अभी 1000 रुपये अधिक कीमत वाले जूतों पर 18 प्रतिशत व इससे कम रेट वाले जूतों पर 12 प्रतिशत जीएसटी है। दोनों यानी कच्चे माल और उत्पाद को एक समान स्तर यानी 12 प्रतिशत लाया जाएगा। काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट के नार्दन रीजन के चार बार चेयरमैन रहे व आगरा फुटवेयर मैन्यूफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन चंद्र डाबर कहते हैं, जीएसीटी कांउसिल को 18 प्रतिशत वाली ऊपरी स्लैब की दर को 12 प्रतिशत करना चाहिए और सभी कच्चे माल पर दर पांच प्रतिशत से 12 प्रतिशत होना चाहिए।